न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/72

1. कमलेश आयु 45 वर्ष पुत्र स्व0 श्री कृष्ण गोपाल जाति ब्राह्मण ।
2. प्रमोद आयु 44 वर्ष पुत्र स्व0 श्री कृष्ण गोपाल जाति ब्राह्मण ।
3. गायत्री बाई आयु 65 वर्ष बेवा स्व0 श्री कृष्ण गोपाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रोहित कुमार पत्र श्री गोपी बल्लभ जाति ब्राह्मण ।
2. राहुल कुमार पुत्र श्री गोपी बल्लभ जाति ब्राह्मण ।
3. श्रीमती स्नेहाप्रभा बेवा श्री गोपी बल्लभ जाति ब्राह्मण ।
4. रामेश्वर दयाल पुत्र श्री मदनगोपाल जाति ब्राह्मण ।
5. ईश्वर चन्द उर्फ मुरारी लाल पुत्र श्री मदनगोपाल जाति ब्राह्मण ।
6. राजेश कुमार पुत्र श्री मदनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
7. गिरिराज पुत्र प्रभूलाल (माता विद्या बाई) जाति ब्राह्मण (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   7/1. पुनीत आत्मज स्वर्गीय गिरिराज ।
   7/2. योगेश आत्मज स्वर्गीय गिरिराज ।
   7/3. मोनिका पुत्री स्वर्गीय गिरिराज ।
   7/4 पार्वती बाई पत्नी स्वर्गीय गिरिराज निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. मनोज पुत्र प्रभूलाल (माता विद्या बाई) जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. चन्दा बाई पुत्री श्री मदनगोपाल पत्नी श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बारां जिला बारां ।
10. लीलाधर पुत्र श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण ।
11. अशोक कुमार पुत्र श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण ।
12. बालमुकुन्द पुत्र श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण ।
13. माया देवी पुत्री श्री रामप्रसाद पत्नी श्री सुरेन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी पैराडाईज चिल्ड्रन स्कूल के सामने जवाहर नगर कोटा ।
14. सावित्री देवी पुत्री श्री रामप्रसाद पत्नी श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी किशोरपुरा हाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
15. भगवान पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खेडी तहसील व जिला बारां ।
16. सुनीता पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी श्री कमल कुमार जाति ब्राह्मण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

17. मालती पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी श्री श्याम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
18. श्रीमती जशोदा बाई बेवा ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खेडी तहसील व जिला बारां ।
19. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री गोविन्दलाल जाति ब्राह्मण ।
20. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री गोविन्द लाल जाति ब्राह्मण ।
21. मोहन लाल पुत्र श्री गोविन्द लाल जाति ब्राह्मण ।
22. रानी पुत्री श्री गोविन्द लाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम खेडी तहसील व जिला बारां ।
23. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा ।
24. उप पंजीयक सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रूपेश श्रृंगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1, 3, 4 से 18 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट कम 01 लगायत 3 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अमृतखेडी तहसील सांगोद में खसरा नम्बर 184 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 02 की रकबा 06 बीघा भूमि स्थित है । उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा पूर्व खातेदार स्व0 जगन्नाथ जी का व शेष 1/2 हिस्सा स्व0 बिरधीलाल का निहित था । वादीगण के परदादा स्व0 जगन्नाथ जी की सन् 1939 में मृत्यु हो गयी थी जिसके बाद जगन्नाथ जी का 1/2 हिस्सा आराजी उनके दोनों पुत्र मथुरालाल, गोविन्दलाल को विरासतन प्राप्त हुई। पक्षकारान ने वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन कर लिया जिसके मुताबिक खसरा नम्बर 186 में से सडक से लगवा की लक्ष्मीचन्द जी की बावडी से पूरब दिशा की 01 बीघा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 184 में से पीछे की 01 बीघा 16 बिस्वा कुल 02 किता की कुल 03 बीघा आराजी मथुरालाल, गोविन्दलाल के हिस्से व कब्जे में आयी थी । इसी प्रकार से खसरा नम्बर 184 में से सडक से लगवा की, लक्ष्मीचन्द जी की बावडी से पश्चिम में 01 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 186 में से पीछे की 01 बीघा 04 बिस्वा कुल 02 किता की कुल 03 बीघा आराजी बिरधीलाल जी के हिस्से व कब्जे में आई थी । स्व0 बिरधीलाल ने विभाजन की सहमति स्वरूप एक तहरीर अपने जीवनकाल में

दिनांक 29.04.1941 को निष्पादित कर दी थी । मथुरा लाल, गोविन्द लाल तथा उनके काकाजी बिरधीलाल जी के मध्य आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन 75–80 वर्ष पूर्व ही मौके पर हो गया था व उसी मुताबिक मौके पर अपने–अपने में आयी भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं । आपसी विभाजन के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में खाते अलग–अलग नहीं होने से वर्ष 1972 में वादीगण के दादाजी मथुरालाल जी ने उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में खाते अलग–अलग करने के लिए वाद संख्या 82/72 प्रस्तुत किया जिसमें मुताबिक राजीनामा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी ने दिनांक 31.12.1973 को डिक्री पारित करते हुए खसरा नम्बर 184 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा में से 01 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 186 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा में से 01 बीघा 04 बिस्वा कुल 02 किता की 03 बीघा भूमि वादी गोविन्द लाल के नाम तथा खसरा नम्बर 186 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा में से शेष 01 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 02 की 03 बीघा प्रतिवादी कम 4, 5 व 6 के पिता मदनगोपाल जी के नाम से पृथक खाता दर्ज करने के आदेश पारित किये । सहवन से विभाजन की डिक्री दिनांक 21.12.1973 में किये गये पृथक–पृथक हिस्सों की मौके के कब्जेकाश्त के अनुसार दिशाएं दर्ज नहीं हो सकी । उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.1973 की पालना में तस्दीक किये गये इंतकाल संख्या 73 दिनांक 30.04.1974 से खसरा नम्बर 184 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा गोविन्द लाल जी के नाम तथा मि. खसरा नम्बर 184 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, मि. खसरा नम्बर 186 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा आराजी प्रतिवादी प्रतिवादी कम 4, 5 व 6 के पिता मदनगोपाल के नाम से खाते दर्ज करने का आदेश दिया गया किन्तु बंटवारे के मुताबिक वादग्रस्त आराजी में पृथक–पृथक दिशाओं का अंकन नहीं किया गया जिसके कारण तत्कालीन नक्शा ट्रेस में उक्त बंटवारे का अमल नहीं हो सका व राजस्व नक्शा ट्रेस को बंटवारे के पूर्व रिकॉर्ड की भांति बदस्तूर रहने दिया जबकि विभाजन के मुताबिक नक्शा ट्रेस सन् 1954–55 में वादग्रस्त चारों मिन खसरा नम्बरान का अंकन किया जाना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी सहित अन्य पुश्तैनी आराजियात में जन्मजात अधिकार निहित होने से गोविन्द लाल के पुत्रों बनवारी लाल वगैरा ने अपने पिता गोविन्द लाल एवं वादी के दादा जी मथुरा लाल के विरूद्ध विभाजन का वाद तत्कालीन सहायक कलक्टर बारां में पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 30.12.1989 को अंतिम डिक्री पारित की गई जिसकी अनुपालना में आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई । सेटलमेंट अधिकारियों ने वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की मि. खसरा नम्बर 186 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा (सडक से संलग्न लक्ष्मीचन्द जी की बावडी से पूरब में) के नये खसरा नम्बर 318 रकबा 0.20 हैक्टर कायम करके गलत रूप से स्व0 मदनगोपाल, स्व0 रामप्रसाद के वारिसान अर्थात् प्रतिवादी कम 01 लगायत 18 के नाम खाते दर्ज कर दिया व स्व0 मदनगोपाल, स्व0 रामप्रसाद के वारिसान के हिस्से व कब्जेकाश्त की मि. खसरा नम्बर 186 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा उत्तरी आराजी के नये खसरा नम्बर 311 रकबा 0.11, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 02 की 0.20 हैक्टर कायम करके गलत रूप से बनवारी पुत्र गोविन्द लाल के नाम खाते में दर्ज कर दिये जबकि पूर्व विभाजन अनुसार नये खसरा नम्बर 318 रकबा 0.20 हैक्टर अराजी वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है । खसरा नम्बर 311 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 02 की 0.20 हैक्टर आराजी स्व0 मदनगोपाल, स्व0 रामप्रसाद के वारिसान प्रतिवादी कम 1 लगायत 18 के हिस्से व कब्जे काश्त में चली आ रही है । इस प्रकार सेटलमेंट विभाग को मौके के कब्जेकाश्त व पूर्व में

हुए विभाजन के विपरीत राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश इन्द्राज करने का कोई अधिकार नहीं था ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.20 हैक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज की जावे व खसरा नम्बर 311 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 02 की रकबा 0.20 हैक्टर आराजी प्रतिवादी कम 1 लगायत 18 के नाम मुताबिक हिस्सा खातेदारी में दर्ज की जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि व वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में जबरन ताकत के बल पर अवैध निर्माण नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण कम 4 लगायत 6 ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज मथुरालाल, गोविन्द लाल आत्मज जगन्नाथ एवं मदनगोपाल आत्मज बिरधीलाल तथा स्वर्गीय रामप्रसाद आत्मज बिरधीलाल के वान के संयुक्त खातेदारी में ग्राम अमृतखेडी, माछल्या, पामलाखेडी के माल में कुल 304 बीघा 03 बिस्वा आराजी रही है । उक्त आराजियों के बाबत् वादीगण के स्व0 दादा श्री मथुरालाल द्वारा परगना अधिकारी रामगंजमण्डी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 54 के तहत वाद संख्या 82/72 विचाराधीन रहा है, जिसमें वर्तमान वाद संख्या 93/2015 में वादग्रस्त आराजी ग्राम अमृतखेडी की खसरा नम्बर 184 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 186 रकबा 02 बीघा 08बिस्वा आराजी जिसके बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 315 रकबा 0.2900 हैक्टर व खसरा नम्बर 318 रकबा 0.20 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 311 रकबा 0.29 हैक्टर व खसरा नम्बर 318 रकबा 0.20 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 311 रकबा 0.11 हैक्टर खसरा नम्बर 312 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर 314 रकबा 0.04 हैक्टर कायम किये हैं । उक्त वाद परगना अधिकारी रामगंजमण्डी ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.1973 को डिक्री किया । वर्तमान वाद में भी वही आराजी है। इसलिए कानूनन धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रिन्सिपल ऑफ रेसजूडीकेटा (पूर्व न्याय) के सिद्धान्तों अनुसार वर्तमान वाद खारिज होने योग्य है ।

5. अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सेटलमेंट विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी का सेटलमेंट करने के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट त्रुटिकारित करने व सेटलमेंट द्वारा कारित त्रुटि की दुरूस्ती में सहयोग करने से प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ है । पूर्व वाद वर्ष 1973 में ही निर्णित हो चुका है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण अंकन दौराने सेटलमेंट हुई है जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत हुआ है । अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे ।
6. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.04.2021 के द्वारा प्रतिवादीगण कम 4 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार कर वादीगण

का वाद खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 31.03.2021 को वाद खारिज किया जाना अंकित है परन्तु पृथक से जो निर्णय टंकित हुआ है उसमें दिनांक 12.04.2021 अंकित की गई है ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद वास्ते हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया था, जबकि पूववर्ती वाद विभाजन का था जिसके कारण परीक्षण न्यायालय के यहॉ विचाराधीन हस्तगत वाद में रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद इस अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा संवत् 2058 में किये गये सेटलमेंट कार्य के दौरान वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी को गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से बनवारी लाल पुत्र गोविन्दलाल के खाते दर्ज कर दिया जो मौके व कब्जे स्थिति के पूर्णतया विपरीत है । सेटलमेंट विभाग को वादीगण की भूमि को प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज करने का कोई कानूनी अधिका प्राप्त नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट प्रतिरक्षा को कम में नहीं लिया जा सकता । परीक्षण न्यायालय के समक्ष यह भली–भांति स्पष्ट था कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत रेसजूडीकेटा तथा आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने के बिन्दु उठाये गये हैं वें बिन्दु प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की प्रतिरक्षा हैं जिन्हें प्रतिवादी अपने जवाबदावे में उठाने हेतु स्वतंत्र है और ऐसी प्रतिरक्षा का निस्तारण कानूनन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत नहीं किया जा सकता न ही प्रतिवादीगण की प्रतिरक्षा के आधार पर वाद वादी खारिज किया जा सकता है । सेटलमेंट विभाग द्वारा संवत् 2058 में किये गये सेटलमेंट कार्य के दौरान वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 186 की 01 बीघा 04 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 318 की रकबा 0.20 हैक्टर कायम किये गये हैं को गलत रूप से प्रतिवादी कम 01 लगायत 18 के नाम खसरा नम्बर 186 की 01 बीघा 04 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 311 की रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.09 हैक्टर कुल 0.20 हैक्टर कायम कर गलत रूप से बनवारी पुत्र गोविन्द लाल के खाते दर्ज कर दी जो मौके व कब्जे स्थिति के पूर्णतया विपरीत है और कानूनन सेटलमेंट विभाग को वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के खाते दर्ज करने का कोई भी अधिकार नहीं था । सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है । पूर्ववर्ती वाद सन् 1973 में ही निर्णित हो चुका है जबकि हस्तगत वाद का वादकारण सन् 1998 में सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि करने के कारण उत्पन्न हुआ है । ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती वाद से हस्तगत वाद का कोई लेना–देना नहीं है। दोनों वाद के विवाद्यक व विषयवस्तु भिन्न–भिन्न है जिसके कारण हस्तगत वर्तमान

वाद को रेस जूडीकेटा के सिद्धान्त के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता । काननून रेसजूडीकेटा व पक्षकार न बनाये जाने का बिन्दु तथ्य व विधि का मिश्रित बिन्दु है जो कूननन तनकीयात कायम साक्ष्य आदि लेकर ही तय किये जा सकते है । रेसजूडीकेटा के बिन्दु के आधार पर कोई भी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद खारिज नहीं किया जा सकता । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण पुनः गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2021 (3) (एससी) पेज 827, सीसीसी 2017 (1) पेज 92, डब्ल्यूएलसी 2011 (4) पेज 531, सीसीसी 2018 (2) पेज 844, डीएनजे 2013 (3) (राज0) पेज 1219 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज मथुरालाल, गोविन्द लाल आत्मज जगन्नाथ एवं मदनगोपाल आत्मज बिरधीलाल तथा स्वर्गीय रामप्रसाद आत्मज बिरधीलाल के वान के संयुक्त खातेदारी में ग्राम अमृतखेडी, माछल्या, पामलाखेडी के माल में कुल 304 बीघा 03 बिस्वा आराजी रही है । उक्त आराजियों के बाबत् वादीगण के स्व0 दादा श्री मथुरालाल द्वारा परगना अधिकारी रामगंजमण्डी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 54 के तहत वाद संख्या 82/72 विचाराधीन रहा है, जिंसमें वर्तमान वाद संख्या 93/2015 में वादग्रस्त आराजी ग्राम अमृतखेडी की खसरा नम्बर 184 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 186 रकबा 02 बीघा 08बिस्वा आराजी जिसके बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 315 रकबा 0.2900 हैक्टर व खसरा नम्बर 318 रकबा 0.20 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 311 रकबा 0.29 हैक्टर व खसरा नम्बर 318 रकबा 0.20 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 311 रकबा 0.11 हैक्टर खसरा नम्बर 312 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर 314 रकबा 0.04 हैक्टर कायम किये हैं । पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निर्णित वाद संख्या 82/72 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में पक्षकारान की जवाबदेही के अनुसार एवं राजीनामे के आधार पर दिनांक 31.12.1973 को डिक्री किया गया था जिसके अनुसार खसरा नम्बर 184 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 186 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा प्रतिवादीगण के हिस्से में आया था एवं वादीगण अपीलान्ट के दादा स्व0 मथुरालाल व गोविन्द लाल के हिस्से में खसरा नम्बर 184 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 186 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा आराजी मौके पर कब्जे काश्त हिस्से में आई है । प्रतिवादीगण के हिस्से में सडक वाला खाता वाद संख्या 82/72 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.1973 के अनुसार ही दर्ज है एवं उसी के अनुरूप मौके पर भी वर्ष 1973 से ही लगातार काबिज है । इसी प्रकार वादीगण के दादा स्वर्गीय मथुरालाल व गोवन्दि लाल के हिस्से में प्रतिवादीगण के पीछे वाला हिस्सा मुताबिक वाद संख्या 82/72 के अनुसार ही दर्ज है । प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व से ही विधिवत बंटवारा आपसी समझौते के आधार पर हो चुका है । ऐसी स्थिति में वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है । बनवारी लाल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद ने अपने निर्णय दिनांक 03.05.2010 के द्वारा खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी मुख्य सडक पर आ जाने के कारण एवं वर्तमान में जमीनों के भाव बढने के कारण उक्त प्रकरण After thought पेश किया गया है । वादीगण ने उक्त वाद चतुराई पूर्व पेश किया है । वादी

चतुराई पूर्वक पूर्व में हो चुके बंटवारे को नकारते हुए नई धाराओं में वाद लाए हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2016 (एससी) पेज 644, सीजे (सिविल) (राज0) 2021 (1) पेज 113, सीजे (सिविल) (राज0) 2020 (2) पेज 346, सीजे (सिविल) (राज0) 2020 (2) पेज 362 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । वादीगण अपीलान्ट कम 01 लगायत 3 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । प्रतिवादी कम 4 लगायत 6 ने परीक्षण न्यायालय में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत वाद में मुख्यतः रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होना कथन करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का कथन किया ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सांगोद ने (जो प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 23 है, के द्वारा राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर) परीक्षण न्यायालय में दिनांक 28.01.2019 को जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

13. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना पक्षकारान द्वारा पूर्व में निर्णित वाद संख्या 82/72 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.1973 को आधार मानते हुए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार कर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज किया है । वादपत्र के अनुसार वादी का वाद सेटलमेंट संवत् 2058 के पूर्व के राजस्व नक्शे में मुताबिक विभाजन बंटे हुए खसरा नम्बरान की तरमीम अंकित नहीं होने व मिन खसरा नम्बर अंकित नहीं होने के कारण सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट संवत् 2058 के दौरान तैयार किये गये राजस्व नक्शा सन् 1998–99 में की गई त्रुटि को दुरूस्त कराने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत वाद में वादी ने स्वयं कथन किया है कि पूर्व में दिनांक 31.12.1973 को विभाजन की डिक्री हो चुकी है । यानि बंटवारा हो चुका है । रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दिशाएं दर्ज नहीं हुई हैं तथा राजस्व मानचित्र में कोई तरमीम नहीं हुई तथा तरमीमशुदा नक्शे अनुसार नये मिन खसरान नम्बर का अंकन नहीं हुआ । अतः प्रस्तुत वाद में प्रथमदृष्टया विषय–वस्तु की भिन्नता प्रतीत होती है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी अपीलान्ट के कथनों का तहसीलदार सांगोद द्वारा जवाब प्रस्तुत किया है । पक्षकारान के पूर्वजों के मध्य बंटवारे की डिक्री की पालना में खाते तो पृथक–पृथक दर्ज कर दिये गये किन्तु दिशाओं का अंकन राजस्व नक्शे में नहीं हो सका तथा बंटवारे के बाद बंटे हुए खसरा नम्बरान के मिन नम्बर दर्ज होने चाहिए थे जो सहवन से नहीं हो सके, अपीलान्ट ने अपने अधिकारों की घोषणा एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के लिए न्यायालय में दावा पेश किया है । अपीलान्ट द्वारा तथ्यों को छुपाया भी नहीं गया है । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा जवाबदावा पेश किया जा चुका था परन्तु परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है । प्रस्तुत प्रकरण में यह देखा जाना है कि वाद में

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 22 द्वारा जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में धारा 11 रेसजूडीकेटा के आधार पर इस स्तर पर वाद खारिज किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2021 (3) (एससी) पेज 827 बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 व धारा 11 सीपीसी की विस्तृत विवेचना करते हुए प्रकाश डाला है, जो कि प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में चस्पा होता है । वादकारण में जहॉ Mixed Question of facts and law होता है वहॉ बिना प्रतिवादी के जवाब प्राप्त किये प्रारम्भिक स्तर पर ही आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में रेसजूडीकेटा के आधार पर वाद खारिज करना उचित नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायकि दृष्टांतों के इस मत से सहमत हैं कि पहली तनकी (issue) आदेश 07 नियम 11 व सीपीसी पर विरचित कर सबसे पहले निर्णित की जा सकती है । परन्तु आदेश 07 नियम 11 में रेसजूडीकेटा के आधार पर प्रारम्भिक अवस्था में ही वाद अस्वीकार करना प्रस्तुत प्रकरण में उचित नहीं है । यहॉ यह तथ्य स्वीकार्य है कि पूर्व में राजीनामा के आधार पर दिनांक 31.12.1973 में डिक्री जारी हो चुकी है । परन्तु दस्तावेजों से राजस्व मानचित्र में तरमीम की स्थिति तथा प्रश्नगत खसरा नम्बर की बंटवारे में दिशाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में विवाद की विषयवस्तु पूर्व वाद की तरह बंटवारा (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53) नहीं है, अपितु सेटलमेंट द्वारा की गई कार्यवाही है जिसके कारण वादकारण उत्पन्न हुआ । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा